"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502] रायपुर, शनिवार, दिनांक 20 सितम्बर 2014— भाद्र 29, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-12/आठ-परि./2013. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 5-12/आठ-परि./2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

तालिका के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (4) में, अंक तथा शब्द "25 कि. मी. प्रति घंटा" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "35 कि. मी. प्रति घंटा" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 5-12/viii-Trans/2013.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 112 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in Department Notification No. F 5-12/viii-Trans/2013, dated 31st December, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification,-

In column (4) of serial number 2 of the Table, for the figures and words "25 kms per hour", the figures and words "35 kms per hour" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.